

## प्रेसनोट दिनांक 23.07.2021

1. दिनांक 22.07.21 को वादी उ०नि० श्री यशवंत द्विवेदी थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नौशाद अहमद पुत्र स्व० रशीद अहमद नि० 1468 दिल्ली दरवाजा थाना को०नगर अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपयो के हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामा तलाशी के 3080 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 469/21 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 22.07.21 को वादी श्री वंशराज वर्मा पुत्र शिवदर्शन नि० माधोपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बृजलाल पुत्र रामबरन नि० माधोपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा लाठी डन्डा से मारना पीटना गाली व जान माल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 307/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 22.07.21 को वादी श्री रामतेज पुत्र रामअवध नि० सहजपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन चालक अमित यादव पुत्र हृदयराम यादव नि० कोछा बाजार थाना को०बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पत्नी को टक्कर मार देना जिससे पत्नी का घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 353/21 धारा 279, 337, 338, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 22.07.21 को वादी श्री मंजीत पुत्र सर्वजीत नि० दुबौलिया थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन चालक अखिलेश साहू पुत्र देव प्रसाद साहू नि० बढनपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० में टक्कर मार कर घायल कर देना, गाली व जानमाल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 355/21 धारा 279, 337, 338, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 22.07.21 को वादी का० गजेन्द्र सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शोकनाथ सिंह पुत्र सगराम नि० तोरोमाफी दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 356/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 22.07.21 को वादी उ०नि० श्री सुधाकर सिंह थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील पुत्र सतई बनराजा नि० थरियाकला थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 162/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 22.07.21 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राहुल निषाद पुत्र सियाराम नि० गनेशपुर सराय मनोहर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 164/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 22.07.21 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय प्रकाश तिवारी पुत्र बैजनाथ तिवारी नि० पारा हथिगो थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 165/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 22.07.21 को वादी हे०का० नीलेश कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप पुत्र रामनरायण नि० गदुरही बाजार थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 195/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 22.07.21 को वादी हे०का० नीलेश कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र कल्लू नि० गदुरही बाजार थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद

होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 196/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 22.07.21 को वादी का0 प्रमोद यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय पुत्र कमला प्रसाद नि0 किन्हुपुर थाना खण्डासा अयोध्या **गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 197/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।